छठवां अध्यायः अन्य कर भिन्न राजस्व

खण्ड कः वानिकी एवं वन्य जीवन

6.1 कर प्रशासन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन विभाग के प्रमुख होते है, जो कि मुख्यालय में आठ अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (अ.प्र.मु.व.सं) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं) के सहायता से कार्य संचालित करते है।

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बनाता है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

हमने देखा कि वर्ष 2013-14 में आं.ले.प.श. में कुल पांच स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र तीन ही कार्यरत थे। वर्ष 2013-14 के दौरान आं.ले.प.श. द्वारा 15 इकाईयों का निरीक्षण हेतु योजना बनाई गई जिसमें से सभी 15 इकाईयों निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण प्रतिवेदेनों जारी किये गये। हालाकि आं.ले.प.श. द्वारा ₹ 23.94 लाख का वित्तीय अनियमिततायें इंगित किये, विभाग ने यह बताया कि स्थानीय कार्यालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने 2013-14 में वन प्राप्तियों के 16 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जांच किये जिसमें से वनोपज के अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण कम प्राप्ति, वनोपज की कमी/गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पादन आदि के 56 प्रकरणों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ सन्निहित थी, पाये जो कि निम्नानुसार **तालिका 6.1** में वर्णित हैः

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

स.क्रं	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर वनोपज के विक्रय करने से राजस्व की कम प्राप्ति	11	0.79
2	वनोपज के गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	12	11.47
3	काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	6	1.44
4	अन्य अनियमिततायें	27	203.81
योग		**56**	**217.51**

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने राशि ₹ 16.13 लाख के 10 प्रकरणों स्वीकार किये।

कुछ उल्लेखित प्रकरणों जिसमे राशि ₹ 8.28 करोड़ सन्निहित थी, को पश्चातवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

6.4 अन्य विभागों/संस्थाओं को प्रदायित वनोपज का निरीक्षण शुल्क की राशि वसूल न करना

वन वित्तीय नियम के नियम 50 अनुसार वन विभाग द्वारा अन्य विभागों/गैर शासकीय संस्थाओं को प्रदायिक वनोपज के मूल्य का 10 प्रतिशत राशि निरीक्षण शुल्क के रूप में वसूलेगा। साथ ही अन्य विभागों से प्राप्तियों को विभाग राजस्व में लेखांकन करेगा। शासन के निर्देशानुसार (जूलाई 2002), अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा का दायित्व लोक निर्माण विभाग को होगा।

पाँच[1] वनमंडलाधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के मध्य) में हमने देखा कि व.मं.अ. ने 2009 एवं 2012 के मध्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों अन्य विभागों एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु ₹ 1.84 लाख बांसों एवं ₹ 1.02 लाख बल्लियों का प्रदाय लोक निर्माण विभाग को किया। तत्संबंधी वर्षो के बाजार मूल्य अनुसार इन वनोपजों का मूल्य राशि ₹ 1.30 करोड़ था। इन प्रदायित वनोपजों के मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 13.00 लाख इन विभागों/संस्थाओं से निरीक्षण शुल्क के रूप में वसूलनीय थी। संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा इन वनोपजों को वन विभाग को लौटा दिया गया, लेकिन निरीक्षण शुल्क के वसूल हेतु व.मं.अ. द्वारा कोई प्रयास नही किये गये। व.मं.अ. द्वारा निरीक्षण शुल्क के वसूली में विफल होने के कारण राशि ₹ 13 लाख का अनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट 6.1)***।

हमारे द्वारा इंगित (अप्रैल से अगस्त 2013) किये जाने पर, व.मं.अ. ने उत्तर में कहा कि निरीक्षण शुल्क की वसूली हेतु संबद्ध संस्थाओं से संपर्क किया जावेगा। हालांकि इस संबंध में कोई भी प्रगति विभाग द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया है।

हमने शासन/विभाग को सूचित (जनवरी 2014) कर दिया; उनसे उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.5 निस्तार काष्ठागार में वनोपज की कमी

6.5.1 शासन के आदेश (जून 1990) अनुसार काष्ठागार में विक्रय हेतु रखे गये जलाऊ काष्ठ में प्रथम में प्रथम वर्ष 15 प्रतिशत तक के सुखत मान्य की गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सुखत उसी जलाऊ लकड़ी के लिए मान्य की जावेगी जो उसी वर्ष विशेष में निर्मित होकर विक्रय डिपो में प्राप्त होती है। यह सुखत सिर्फ जलाऊ काष्ठ के लिए ही मान्य होगा न कि बांस एवं बल्लियों के लिए। आगे छ.ग. वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल शासन एवं महालेखाकार को प्रेषित की जावेगी।

तीन[2] वनमंडलों के अभिलेखों के जांच (अप्रैल से दिसम्बर 2012) में हमने पाया कि पांच[3] निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार व.मं.अ., बस्तर एवं

---

1 धमतरी, कोरबा, महासमूंद, राजनांदगांव एवं सरगुजा (दक्षिण)

2 बस्तर, जशपुर एवं कोरिया।

3 बमनी, नागरनार एवं नेगानार (बस्तर) कांसाबेल एवं पत्थलगांव (जशपुर)

जशपुर वनमंडल में 2008 से 2011 के मध्य 3,049 बांस एवं 70 बल्लियों की कमी पाई गई। आगे 13[4] निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में 264.65 जलाऊ चट्टों तथा 928.189 क्विंटल जलाऊ काष्ठ में अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य किया गया। इन वनोपजों का तत्संबंधी वर्ष में मूल्य ₹ 3.71 लाख था। अतः निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की कमी तथा अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य करने से राजस्व राशि ₹ 3.71 लाख की कम प्राप्ति हुई **(परिशिष्ठ 6.2)**। उक्त प्रकरण को व.मं.अ. द्वारा शासन एवं महालेखाकार को भी सूचित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इंगित (अक्टुबर 2013) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि बस्तर वनमंडल ने ₹ 1.40 लाख की वसूली कर ली है। कोरिया वनमंडल के संबध में यह कहा गया कि शासन के निर्देशानुसार (जुलाई 2006) अनुमत्य सीमा तक के वनोपज के वजन में कमी करने पर भी कोई कमी नहीं आई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसना एवं बोरपादर निस्तार काष्ठागारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में सुखत के कारण वनोपज की कमी का स्पष्ट उल्लेख था। साथ ही 15 प्रतिशत का सुखत सिर्फ नये चट्टों के लिए ही मान्य है। जशपुर वनमंडल से उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

6.5.2 वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.), सरगुजा (दक्षिण) के अभिलेखों के जांच (जनवरी 2012) में हमने पाया कि दो[5] निस्तार काष्ठागारों के जून 2010 एवं जून 2011 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में 1,585 बांस एवं 1,080 बल्लीयों की कमी पाई गई। अग्रेतर जांच में देखा गया कि तीन[6] निस्तार काष्ठागारों में अनुमत्य सीमा से 1,739.1 क्विंटल जलाऊ काष्ठ का अधिक सुखत मान्य किया गया। तत्संबंधी वर्ष में इन वनोपज का मूल्य 3.73 लाख था। अतः निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की कमी एवं अनुमत्य सीमा से अधिक सुखत मान्य करने पर राजस्व ₹ 3.73 लाख की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ठ 6.3)***। जबकि व.मं.अ. ने हानि को शासन एवं महालेखाकार को प्रतिवेदित नहीं किया।

हमारे द्वारा इंगित (नवम्बर 2013) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि हानि की मांग ₹ 3.65 लाख के विरूद्ध राशि ₹ 0.54 लाख की वसूली कर ली गई है।

6.6 वनोत्पाद के परिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली न होना

भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 2(4)(ख) के अनुसार खान से प्राप्त सभी उपज जो वन क्षेत्र में है वह वनोपज कहलाएगा। अतः व्यपवर्तित वनभूमि से प्राप्त खनिज भी वनोपज कहलाएगा। छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 यथासंशोधित 2002 के नियम 3 अनुसार किसी भी वनोपज का वन भूमि से वन विभाग द्वारा जारी वैध अभिवहन पास के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा। अभिवहन पास जारी करने हेतु राशि ₹ 7 प्रति टन की दर से शुल्क वसूल की जाएगी। आगे वन संरक्षण अधिनियम

---

4 अडवाल, असना, बाकावान्ड, बामनी, बोरपादार और नगरनार (बस्तर वनमंडल) कांसाबेल, कुनकुरी, पन्डरीपानी और पत्थलगांव (जशपुर वनमंडल) और छिन्दडांड़, चिरमिरी और पटना (कोरिया वनमंडल)।

5 गांधी नगर एवं लातोरी

6 गांधी नगर, कमलेश्वरपुर एवं करंजी

1980 के अनुसार गैर-वनीय प्रयोजन हेतु हस्तांतरित भूमियों का स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात वे वन भूमि ही रहेंगी। अतः खनन प्रयोजन हेतु हस्तांतरित वनभूमि से प्राप्त खनिज वनोपज ही कहलायेगा।

व.मं.अ. कोरबा एवं सरगुजा (दक्षिण) के वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच में हमने देखा कि कोयला एवं बाक्साईट की छह खदानें[7] वन क्षेत्र के अंतर्गत थी। खनिज संसाधन विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार इन खदानों 94.33 लाख टन कोयला (2010-11 से 2012-13) एवं 14.60 लाख टन बाक्साईट (2008-09 से 2012-13) का वनक्षेत्र से उत्खनन कर परिवहित किया गया। चूंकि यह खनिज वनभूमि से उत्खनित किये गये थे, तो यह वनोपज की श्रेणी में आते है तथा इसके परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी कर अभिवहन शुल्क राशि ₹ 7.63 करोड़ वसूल किया जाना था। परन्तु विभाग द्वारा वन क्षेत्र से उत्खनित खनिजों के परिवहन पर न तो अभिवहन पास जारी किये गये न ही संबंधित संस्थानों से अभिवहन शुल्क की वसूली की गई।

हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र), छ.ग. शासन के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2010 एवं 2011 के क्रमशः कंडिका 7.4.12 एवं 8.9 के माध्यम से इंगित किया था। लोक लेखा समिति के अनुशंसा (अक्टूबर 2012) पर विभाग द्वारा कंडिका 7.4.12 के परिपेक्ष्य में राज्य के समस्त वृत्तों को 2002-03 से अभिवहन शुल्क वसूली हेतु मांग जारी किया गया (मार्च 2013)। हमारे द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये वसूली मांगों के जांच किये जाने पर पाया गया कि सूची में आक्षेपित खदानें शामिल नहीं थी परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.63 करोड़ की अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी ***(परिशिष्ठ 6.4)***।

हमारे द्वारा इंगित (जनवरी 2012 से जूलाई 2013) किये जाने पर व.मं.अ. सरगुजा (दक्षिण) ने उत्तर में कहा (जूलाई 2013) की कोयले के उत्खन्न के अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु मांग की गई है (जून 2013) एवं बाक्साईट उत्खन्न के अभिवहन शुल्क की वसूली के संबंध में उच्चधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के बाद ही वसूल की जावेगी। व.मं.अ., कोरबा ने अपने उत्तर में कहा कि व.सं. बिलासपुर ने निर्देशित (मार्च 2013) किया है कि अभिवहन शुल्क की वसूली कार्य आयोजना में वर्णित आरक्षित/संरक्षित वनों से उत्खनित खनिजों पर ही किया जायेगा। चूंकि कोयला का उत्खनन संरक्षित एवं राजस्व वन क्षेत्रों से किया गया है, अभिवहन शुल्क की वसूली संरक्षित वन क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों की मात्रा को सुनिश्चित किये जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

व.मं.अ., कोरबा का उत्तर मान्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसम्बर 1996) स्पष्ट किया है कि भारतीय वन अधिनियम के अनुसार कोई भी वन जो शासकीय अभिलेख में सम्मिलित है, चाहे उसका स्वामित्व कोई भी हो वह इन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित होगे और छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम के अनुसार अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु राजस्व वन क्षेत्र एवं आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। लोक लेखा समिति के अनुशंसा के बाद भी अन्य हेतु वसूली की कार्यवाही में इन खदानों से अभिवहन शुल्क की वसूली हेतु मांग न किया जाना विभाग

---

[7] कोरबा (राजगमार ऑपन कॉस्ट, मानिकपुर, अंडरग्राउंड कोयला की खदानें), सरगुजा (दक्षिण) (मैनपाट बॉक्साइट खदान और गायत्री और रेहर, अमीरा और महन आपन कॉस्ट खदानें)।

में राजस्व रिसाव रोकने हेतु के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करता है। इस संबंध में आगे की कार्यवाही की प्रगति अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

उक्त आक्षेप शासन/विभाग(नवम्बर 2013) को सूचित किया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

6.7 उपभोक्ता काष्ठागार में वनोपज की कमी

प्र.मु.व.सं. के आदेश (जुलाई 2002) अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष के दिनांक 30 जून को किया जायगा। भौतिक सत्यापन दौरान अगर कोई वनोपज की कमी पाई जाती है तो उसकी जांच की जावेगी तथा जिम्मेदारी तय कर उचित कार्यवाही की जावेगी। आगे छ.ग. वित्त संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार प्रत्येक हानि प्रकरणों को शासन तथा महालेखाकार को सूचित किया जायगा।

30 जून 2010 की स्थिति में पिथौरा उपभोक्ता काष्ठागार (व.मं.अ., महासमुंद) के भौतिक सत्यापन की नमूना जांच में हमने देखा कि 13,951 बांस 139 बल्लियों, 775 खूंटे एवं 453 जलाऊ चट्टे की कमी पाई गई। आगे नीलामी हेतु 13,591 बांस में से 8,333 बांसों का परिवहन 14 दिसम्बर 2010 को विक्रय काष्ठागार में किया गया। अतः शेष बांस उपभोक्ता काष्ठागार में मौजूद होने चाहिए थी। लेकिन 30 जून 2011 के भौतिक सत्यापन में न तो शेष बांसों का अवशेष बताया गया न ही वर्ष के दौरान इस काष्ठागार से कोई विक्रय होना। साथ ही यह भी देखा गया कि एक ही काष्ठागार में दो लगातार वर्षो में भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों का विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अतः विभाग द्वारा की कमियों के कारणों के उदासीनता को संबोधन न करने से राशि ₹ 8.78 लाख की राजस्व अप्राप्ति हुई ***(परिशिष्ट 6.5)***।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2013) किये जाने पर, व.मं.अ. ने उत्तर (मई 2013) में कहा कि प्रकरण परीक्षण पश्चात् कर सूचित किया जायेगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

प्रकरण शासन/विभाग को सूचित (नवम्बर 2013) किया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)।

6.8 निस्तार काष्ठागार से वनोपज के विक्रय में राजस्व की कम प्राप्ति

प्र.मु.व.सं के आदेश (जुलाई 2011) के अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार का माह के अंत में भौतिक सत्यापन किया जायेगा। प्रत्येक वनमंडल हर वर्ष निस्तार पत्रिका जारी करती है, जिसमें निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार से विक्रय किये जाने वाले वनोपज की रियायती दर घोषित होती है।

व.मं.अ., धमतरी के अभिलेखों के नमूना जांच (अगस्त 2013) में हमने देखा कि वनमंडल ने अक्टूबर 2011 एवं जनवरी 2013 के मध्य 7,368 जलाऊ चट्टे 1,27,163 बांस एवं 4,351 बल्लियों का विक्रय किया एवं विक्रय मूल्य के रूप में राशि ₹ 56.91 लाख की प्राप्ति हुई। निस्तार पत्रिका में तत्संबंधी वर्ष के मूल्य के आधार पर गणना करने पर उक्त वनोपज का विक्रय मूल्य राशि ₹ 93 लाख था। अतः वनमंडल ने वनोपज का विक्रय शासन द्वारा प्रावधानित रियायती दर का पालन न कर कम दर से

किया गया। परिणामस्वरूप वनोपज के विक्रय पर राशि ₹ 36.09 लाख की कम प्राप्ति हुई ***(परिशिष्ट 6.6)***।

हमारे द्वारा इंगित (अगस्त 2013) किये जाने पर व.मं.अ. द्वारा अपने उत्तर में कहा कि प्रकरण को परीक्षण उपरांत पृथक से सूचित किया जायेगा।

प्रकरण शासन/विभाग को सूचित (नवम्बर 2013) किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

खण्ड खः अलौह खनिज एवं खनिकर्म उद्योग

6.9 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, खनिज संसाधन विभाग संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह-संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख) खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख है जिनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त संचालक, खनिज प्रशासन (अति.स.ख.प्र.) 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते है। उल्लेखित स्वीकृत पद के विरूद्ध विभाग में एक अति.सं.ख.प्र., 15 जि.ख.अ., 11 स.ख.अ. एवं 25 ख.नि. कार्यरत थे।

6.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

हमने देखा कि वर्ष 2013-14 में स्वीकृत पद एक सह संचालक एवं चार लेखापरीक्षक के विरूद्ध आं.ले.प.शा. मे मात्र एक लेखापरीक्षक ही कार्यरत थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 19 इकाईयों के निरीक्षण प्रस्तावित थे जिसमें से 17 इकाईयों का लेखापरीक्षा कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। जबकि एक भी वित्तीय अनियमितता इंगित नहीं किये गये, मात्र सुझावात्मक टीप जारी किये गये।

6.11 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने 2013-14 में खनिज संसाधन विभाग के 16 इकाईयों में से सात इकाईयों की नमूना जांच की एवं 639 प्रकरणों में राशि ₹ 25.46 करोड़ के खनिज पट्टाधारकों से राज्यांश एवं ब्याज का कम निर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण/प्राप्ति, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितातायें को इंगित किया, जो कि निम्न **तालिका 6.2** में वर्णित हैः-

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

सं.क.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्यांश एवं ब्याज का कम निर्धारण	116	5.93
2.	मुदांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति	2	0.004
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	37	0.11
4.	अन्य अनियमितताएँ	484	19.42
योग		**639**	**25.46**

वर्ष के दौरान विभाग ने कम निर्धारण एवं अन्य कमियों के 144 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 4.71 करोड़ सम्मिलित थें, को स्वीकार करते हुए चार प्रकरणों में राशि ₹ 5.13 लाख की वसूली की।

प्रारूप कंडिका जारी करने के बाद विभाग ने वर्ष 2014-15 में 30 प्रकरणों में राशि ₹ 4.75 लाख की वसूली की गई।

एक उल्लेखित प्रकरण जिसमें राशि ₹ 12 लाख सम्मिलित है उसका विवरण पश्चातवर्ती कंडिका में उल्लेखित किया गया है।

6.12 अनिवार्य भाटक एवं उस पर ब्याज की राशि का वसूल न होना

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (1) (क) के अनुसार पट्टाधारक प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रति वर्ष इस नियम के अधिसूची IV के दर अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य भाटक की अग्रिम राशि वर्ष के प्रथम माह के 20 तारीख के पहले भुगतान करेगा। नियम 30(1) (ए) यह प्रावधानित करता है कि अगर पट्टाधारक नियत तिथि तक अनिवार्य भाटक भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे देय तिथि से भुगतान तिथि तक की विलंब अवधि हेतु 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

हमने जि.ख.अ., दंतेवाड़ा, राजनांदगांव एवं उपसंचालक, खनिज, रायपुर (नवम्बर 2013 से जनवरी 2014) के 533 प्रकरणों में से 304 प्रकरणों के खतौनी एवं खनिपट्टा नस्तियों की नमूना जांच में पाया कि 19 प्रकरणों में वर्ष 2007 से 2014 के मध्य पट्टाधारकों द्वारा राशि ₹ 7.27 लाख के अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया गया। उसके बावजूद जि.ख.अ. द्वारा अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 7.27 लाख एवं उस पर परिगणित ब्याज की राशि ₹ 4.73 लाख की वसूली हेतु कोई मांग जारी नहीं की। जि.ख.अ. द्वारा खनिपट्टों का अनुश्रवण करने में विफल होने के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 12 लाख की अप्राप्ति हुई (**परिशिष्ट 6.7**)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (जून 2014) पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2014) कि चार प्रकरणों में राशि ₹ 1.05 लाख की वसूल की गई एवं उ.सं.ख., रायपुर द्वारा सात पट्टाधारकों को वसूली की मांग जारी की गई है। आगे जि.ख.अ., राजनांदगांव ने राशि ₹ 33,080 की राशि वसूल की है एवं जि.स.अ., दंतेवाडा द्वारा दो पट्टाधारकों से राशि ₹ 1.77 लाख की वसूली हेतु मांग की गई है।

उक्त प्रकरण शासन को (मई 2014) सूचित किया गया; उनके उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2014)।